

माप तोल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

स.फा.7(7)/डब्ल्यू एण्ड एम./प्रशासन/2011/1179-88.—विधिक माप अधिनियम 2009 (2010 का 1) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 2 (क्यू) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये

- 1 श्री जरनैल सिंह
- 2 श्रीमति सूरज सीकरी
- 3 श्रीमति शशि किरन चुग
- 4 श्री यशपाल चौधरी
- 5 श्रीमति राज रानी भगत

को विधिक माप पद्धति अधिकारी (ग्रेड-2) को उस समय तक बाट एवं माप विभाग में निरीक्षक/उपनिरीक्षक/माप पद्धति अधिकारी के पद पर कार्यरत है या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर,
प्रवीर जैन, सहायक नियंत्रक (विधिक माप पद्धति)

DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES
NOTIFICATION

Delhi, the 1st July, 2015

No. 7(7)/W&M/Admn/2011/1179-88.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and read with section 2(q) of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints:

1. Sh. Jarnail Singh
2. Smt. Suraj Sikri
3. Smt. Shashi Kiran Chugh
4. Sh. Yashpal Choudhary
5. Smt. Raj Rani Bhagat

as Legal Metrology Officer (Gr.-II) for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi, so long as he/she holds the post of Inspector/Sub-Inspector/Legal Metrology Officer in the Weights and Measures Department or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi.
PRAVIR JAIN, Asstt. Controller, Legal Metrology

2921 D 6/15-2